## परिशिष्ट ग

भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड 1 में प्रकाशित

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय,

नई दिल्ली, अक्तूबर 24, 1978

### अधिसूचना

सा० का० नि०.....केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 25 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम—इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेस परिषद् (सदस्यों के नाम निर्देशन की प्रक्रिया) नियम, 1978 है ।

2. परिभाषाएं—इन नियमों, में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) ;

(ख) 'सचिव' से अभिप्रेत है, धारा 11 के अधीन नियुक्त परिषद् का सचिव ;

(ग) 'धारा' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ;

(घ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं है वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में है ।

3. परिषद् की सदस्यता के लिए नामों के पैनलों का आमन्त्रण :

(1) प्रथम परिषद् की दशा में केन्द्रीय सरकार और किसी पश्चात्वर्ती परिषद् की दशा में पूर्ववर्ती परिषद् का सेवा-निवृत्त होने वाला अध्यक्ष, धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन उस उपधारा में

निर्दिष्ट, यथास्थिति संथाओं, या संथाओं और समाचार एजेंसियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा इस निमित्त सूचना भेजकर नामों का पैनल आमंत्रित करेगा, और सूचना में उनसे अपेक्षा को जाएगी कि वे, पैनल में सम्मिलित नामों के संबंध में निम्नविनिर्दिष्ट विशिष्टियां दें—

(1) व्यक्ति का नाम

(2) प्रवर्ग, जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है ;

(क) सम्पादक ;

(ख) सम्पादक से भिन्न, श्रमजीवी पत्रकार ;

(ग) किसी समाचार-पत्र का स्वामी या प्रवन्धक; या

(घ) समाचार एजेंसी ;

(3) उस समाचारपत्र या समाचार एजेंसी का शीर्षक और भाषा जिसमें, यथास्थिति, वह नियोजित है या जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है और कि वह समाचारपत्र बड़ा है या मध्यम या छोटा (पिछले एक वर्ष के सभी संस्करणों के कुल परिचलन से संबंधित आंकड़े) ;

(4) समाचार पत्र के प्रकाशन का स्थान ;

(5) यदि वह श्रमजीवी पत्रकार है,

(क) क्या वह किसी समाचार-पत्र का स्वामी है या किसी समाचारपत्र के प्रवन्ध का कारबार कर रहा है ;

(ख) उसी नियंत्रण या प्रवन्ध के अधीन उस समाचारपत्र या उन समाचारपत्रों के समूह, यदि कोई हो, का नाम जिससे वह सम्वन्धित है या जिसमें वह हितवद्ध है ;

(6) अधिमान क्रम ; और

(7) कोई अन्य सूचना,

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में यह कथित होगा कि सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख (जो किसी भी दशा में, इस सूचना की तारीख से बीस दिन की अवधि से पूर्व नहीं होगी) के पश्चात् प्राप्त नामों के पैनलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) नामों के पैनलों पर, संथा या समाचार एजेंसियों द्वारा इस निमित्त सम्यकत: प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे।

4. सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए प्रक्रिया :

नियम 3 के अधीन, यथास्थिति, संथाओं और समाचार एजेंसियों द्वारा सिफ़ारिश किये गये नामों के पैनलों में से, धारा 5 की उपधारा (3) के खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों का नाम निर्देशन, उस उपधारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्—

(1) वह/वे व्यक्ति जो यथास्थिति क्रमश: उन सभी संथाओं या समाचार एजेंसियों द्वारा सिफ़ारिश किए गए हैं, पहले उस उपधारा के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु यदि इस प्रकार सिफ़ारिश किये गए व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक प्रवर्ग में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों की अपेक्षित संख्या से अधिक हो तो अपेक्षित संख्या, इस प्रकार सिफ़ारिश किए गए व्यक्तियों में से लाटरी निकालकर नाम-निर्दिष्ट की जाएगी ;

(2) जहां खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् धारा 5 की उपधारा (3) के खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों की अपेक्षित संख्या नामनिर्दिष्ट न की जा सकी हो, वहां वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जो एक से अधिक संथा या समाचार एजेंसी द्वारा सिफारिश किये गये हैं किन्तु सभी संथाओं या समाचार एजेंसियों द्वारा नहीं उन संथाओं या समाचार-एजेंसियों के जिन्होंने उनकी सिफ़ारिश की थी, संख्या क्रम में शेष सदस्यता के सम्बन्ध में नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे।

परन्तु यदि इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक प्रवर्ग में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों की अपेक्षित संख्या से अधिक हो तो अपेक्षित संख्या इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से लाटरी निकालकर नाम-निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) जहां खण्ड (1) और (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् धारा (5) की उपधारा 3 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के

अधीन नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों की अपेक्षित संख्या नाम निर्दिष्ट न की जा सकी हो, वहां, शेष सदस्यों को निम्न-लिखित रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, अर्थात्—

(क) वह क्रम जिसमें उन प्रवर्गों के व्यक्तियों की संथाओं का, उनकी सिफ़ारिश पर विचार करने के लिए, पुनर्विन्यास किया जाएगा, पहले लाटरी निकालकर विनिश्चित किया जाएगा ;

(ख) तब सदस्यों की अपेक्षित संख्या उन व्यक्तियों में से नाम-निर्दिष्ट की जाएगी जो, उपखण्ड (क) के अधीन और इन संस्थाओं द्वारा उपदर्शित अधिमान के अनुसार विनिश्चित क्रम में विन्यासित की गई संथाओं द्वारा सिफारिश किए गए हैं किन्तु ऐसी प्रत्येक संथा से एक से अधिक नहीं होगी; और यदि अपेक्षित संख्या तब भी नामनिर्दिष्ट न की जा सके तो नामनिर्देशन उन व्यक्तियों से किया जाएगा जिन्हें उक्त क्रम में पुनर्विन्यासित संथाओं द्वारा अगला अधिमान दिया गया हो और इसी तरह उससे अगला भी जब तक कि सदस्यों की अपेक्षित संख्या नाम-निर्दिष्ट न हो जाए ।

(4) जहां खण्ड (1) और (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् धारा 5 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला सदस्य नामनिर्दिष्ट नहीं किया जा सके वहां पहले, यथास्थिति, समाचार एजेंसियों की संथा या समाचार एजेंसी चुनने के लिए, जिसकी सिफारिश पर, सदस्य के नाम-निर्देशन के लिए विचार किया जाना चाहिए, लाटरी निकाली जाएगी और तब उस व्यक्ति को जिसे यथास्थिति, उक्त संस्था या समाचार एजेंसी द्वारा प्रथम अधिमान दिया गया है, सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

5. धारा 5 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिए प्रक्रियाएं :

(1) धारा 5 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समिति का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने के प्रयोजनार्थ उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचित परिषद् के सदस्यों की बैठक प्रथम परिषद् की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा और

किसी पश्चात्वर्ती परिषद् की दशा में सचिव द्वारा उन सभी सदस्यों को कम-से-कम दस दिन की लिखित सूचना देते हुए बुलाई जाएगी जिसमें बैठक की तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट होंगे ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिषद् के सदस्य अपने में से गुप्त मतदान द्वारा ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे जो धारा 5 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समिति का सदस्य होगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य का नाम, सदस्य परिषद् की बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा, ऐसे निर्वाचन के सात दिन के भीतर राज्य सभा के अध्यक्ष को संसूचित किया जाएगा ।

ह०/-
(एस. रामस्वामी)
अवर सचिव, भारत सरकार